रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102022-239338 CG-DL-E-04102022-239338

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4471] No. 4471] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 4, 2022/आश्विन 12, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 4, 2022/ASVINA 12, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4679(अ).—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कितपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों और उससे उपाबद्ध विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है, अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है;

और शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार पुत्र गुलाम कादिर डार, जो मूलतः गांव लजूरा, जिला पुलवामा, जम्मू-कश्मीर से संबंध रखता है, जो इस समय पाकिस्तान में रह रहा है, जिसके पास पाकिस्तान का कंप्यूटरीकृत राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 61101-9814381-9 है, तहरीक-उल-मुजाहिद्दीन (टीयूएम) का प्रमुख/अमीर है;

और तहरीक-उल-मुजाहिदीन को उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन क्रम संख्यांक 41 पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ;

और शेख जमील-उर-रहमान लश्कर-ए-तोइबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम), हिज्बुल-मुजाहिद्दीन (एचएम) के क्रियाकलापों के समन्वयन तथा शीर्षस्थ स्तर पर अन्य समामेलनों में सम्मिलित है ;

6681 GI/2022 (1)

और उक्त शेख जमील-उर-रहमान पाकिस्तान में बने हुए विस्फोटकों की तस्करी करने तथा पाकिस्तान से भारत में आतंकवादियों के संचलन में सम्मिलित है :

और उक्त शेख जमील-उर-रहमान मेंढर, पुंछ, जम्मू-कश्मीर में धार्मिक स्थलों पर ग्रेनेड हमले के षडयंत्र में सम्मिलित रहा है:

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार आतंकवाद में सम्मलित है और उक्त शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रद्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :--

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम संख्या 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"48. शेख जमील-उर-रहमान @ शेख साहब @ रहमान @ अबू नुसरत @ फयाज़ अहमद डार"।

[फा. सं. 11034/09/2022/सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4678(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2022

S.O. 4679(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith:

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Sheikh JameeI-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar,son of Ghulam Qadir Dar,belonging originally to Village Lajoora, District Pulwama, Jammu and Kashmir,presently residing in Pakistan, having Pakistan's Computerised National Identity Card No. 61101-9814381-9, is chief/Amir of Tehreek-ul-Mujahideen (TuM);

And whereas, Tehreek-ul-Mujahideen (TuM) is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial No.41;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman is involved in coordinating the activities of Lashkar-e-Taiba (LeT), Jaish-e-Mohammed (JeM), Hizb-ul-Mujahideen (HM) and other amalgamates at the top level;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman is involved in smuggling of Pakistan made explosives and movement of terrorist cadres from Pakistan to India;

And whereas, the said Sheikh JameeI-ur-Rehman has been involved in conspiracy of grenade attacks on religious places in Mendhar, Poonch, Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Sheikh JameeI-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar is involved in terrorism and the said Sheikh JameeI-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar is to be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 47 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"48. Sheikh JameeI-ur-Rehman @Sheikh Sahab @Rehman @Abu Nusrat @Fayaz Ahmed Dar".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secv.

Note: The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 4678(E), dated the 4th October, 2022.